



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 9, 1940

No. 08]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/SHRAVANA 9, 1940

रक्षा मंत्रालय

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

**का.नि.आ. 11(अ).**— छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 23 के साथ पठित धारा 346 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छावनी परिषदों के उपाध्यक्षों और निर्वाचित सदस्यों को मानदेय और यात्रा भत्तों के भुगतान को विनियमित करने के लिए का.नि.आ. 6(अ) दिनांक 01 अगस्त, 2011 में आशोधन करते हुए उन बातों जो ऐसे आशोधन से पहले की गई या नहीं की गई, के सिवाय निम्नलिखित मसौदा नियमों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है तथा एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इन मसौदा नियमों पर, भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करवाए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त मसौदा नियमों के संबंध में पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर विचार किया जाएगा;

आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (भूमि एवं छावनी), रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाएं।

**मसौदा नियम**

(1) इन नियमों को छावनी (उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित सदस्यों को भत्तों का भुगतान संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) छावनी (उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित सदस्यों को भत्तों का भुगतान) नियम, 2011 के नियम 3 के खंड (1) में दी गई 'सारणी' काट दी जाएगी और नीचे दी गई 'सारणी' और 'परंतुक' द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

**सारणी**

क्र. सं.	छावनी की श्रेणी	उपाध्यक्ष को देय मानदेय (प्रतिमाह)	निर्वाचित सदस्यों को देय मानदेय (प्रतिमाह)	उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित सदस्यों को देय यात्रा भत्ता (प्रतिमाह)	उपाध्यक्ष एवं निर्वाचित सदस्यों को देय टेलीफोन भत्ता (प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रेणी 1	₹ 10,000/- (दस हजार रुपए केवल)	₹ 8,000/- (आठ हजार रुपए केवल)	₹ 1,250/- (एक हजार दो सौ पचास रुपए केवल)	₹ 320/- (तीन सौ बीस रुपए केवल)
2.	श्रेणी 2	₹ 8,000/- (आठ हजार रुपए केवल)	₹ 6,000/- (छह हजार रुपए केवल)	₹ 1,000/- (एक हजार रुपए केवल)	₹ 320/- (तीन सौ बीस रुपए केवल)
3.	श्रेणी 3	₹ 6,000/- (छह हजार रुपए केवल)	₹ 4,000/- (चार हजार रुपए केवल)	₹ 750/- (सात सौ पचास रुपए केवल)	₹ 320/- (तीन सौ बीस रुपए केवल)
4.	श्रेणी 4	₹ 4,000/- (चार हजार रुपए केवल)	₹ 2,000/- (दो हजार रुपए केवल)	₹ 500/- (पाँच सौ रुपए केवल)	₹ 320/- (तीन सौ बीस रुपए केवल)

परंतु इन मानदेय और भत्तों की प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात समीक्षा की जाएगी।

[फा. सं. 14(6)/2009-डी(क्यू एवं सी)]

जयंत सिन्हा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE****DRAFT NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2018

**S.R.O. 11(E).**—The following draft rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 346 read with section 23 of the Cantonment Act, 2006 (41 of 2006) and in modification of the rules vide S.R.O. 6(E) on 1<sup>st</sup> August, 2011 to regulate the payment of honorarium and travelling allowances to Vice-Presidents and Elected Members of Cantonment Boards, except as respects things done or omitted to be done before such modification, is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of period of

sixty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules, before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director (Land & Cantonment), Ministry of Defence, Sena Bhavan, New Delhi – 110011.

#### DRAFT RULES

(1) (1) These rules may be called the Cantonments (Payments of Allowances to Vice President & Elected Members (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(2) In the Cantonment (Payment of Allowances to Vice – President & Elected Members) Rules, 2011, the 'Table' in clause (1) of Rule 3 shall be deleted and substituted by the 'Table' and 'Proviso' below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Category of Cantonment	Honorarium Payable (per mensem) to Vice – President	Honorarium Payable (per mensem) to Elected Members	Conveyance allowance payable to Vice – President and each Member (per mensem)	Telephone allowance payable to Vice – president and each Member (per mensem)
1	2	3	4	5	6
1	Category 1	₹ 10000/- (Rupees Ten thousand only)	₹ 8000/- (Rupees Eight thousand only)	₹ 1250/- (Rupees One thousand Two hundred Fifty only)	₹ 320/- (Rupees Three hundred and Twenty only)
2	Category 2	₹ 8000/- (Rupees Eight thousand only)	₹ 6000/- (Rupees Six thousand only)	₹ 1000/- (Rupees One thousand only)	₹ 320/- (Rupees Three hundred and Twenty only)
3	Category 3	₹ 6000 /-(Rupees Six thousand only)	₹ 4000/- (Rupees Four thousands only)	₹ 750/- (Rupees Seven hundred Fifty only)	₹ 320/- (Rupees Three hundred and Twenty only)
4	Category 4	₹ 4000/- (Rupees Four thousand only)	₹ 2000/- (Rupees Two thousands only)	₹ 500/- (Rupees Five hundred only)	₹ 320/- (Rupees Three hundred and Twenty only)

Provided that the honorarium and allowances shall be reviewed after every five years.

[F. No. 14(6)/2009-D(Q&C)]

JAYANT SINHA, Jt. Secy.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL  
Date: 2018.08.04 12:07:52 +05'30'